न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. विजय शर्मा पुत्र अशोक शर्मा, जाति- ब्राह्मण, निवासी- एच.जी. रोड, प्लॉट नं. 70, मानपुर, आबूरोड, जिला- सिरोही
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर)

फर्म:- मॉडर्न इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, कारोली, तलहटी, आबूरोड, जिला- सिरोही

2. प्रवीण अग्रवाल पुत्र श्री रामकरण अग्रवाल, निवासी- प्लॉट नं. 14, आरासूरी कॉलोनी, तरतोली, आबरोड, जिला- सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- श्री महाकाली एजेंसी, आरासूरी कॉलोनी, तरतोली रोड, आबूरोड, जिला- सिरोही

3. दिनेश पुत्र श्री ताराचन्द सहारा, निवासी- सर्वे नं. 392/1/2, 392/1/1/2, 392/2/2, ग्राम- लिम्बोडागरी, तहसील- हाटोड, जिला-इन्दौर (मध्यप्रदेश)
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी निर्माता फर्म)

फर्म:- अग्रवाल पापड प्रा.लि., सर्वे नम्बर 392/1/2, 392/2/2, ग्राम-लिम्बोडागरी, तहसील- हाटोड, जिला- इन्दौर (मध्यप्रदेश)

प्रकरण संख्या: 33/2020

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

अधिवक्ता श्री रमाकान्त शर्मा व श्री दलपत राज परमार, प्रतिवादी संख्या- 3 ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 03 मार्च, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 15.10.2020 को दौराने गश्त समय 11.15 ए.एम. पर फर्म मॉडर्न इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, कारोली, तलहटी, आबूरोड, जिला- सिरोही पर पँहुचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से विजय शर्मा पुत्र अशोक शर्मा, जाति- ब्राह्मण, निवासी- एच.जी. रोड, प्लॉट नं. 70, मानुपर, आबूरोड, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले प्रोपराईटरी फूड गुला[illegible] के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम [illegible]06 [illegible] तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान [illegible] हेतु मौजूद प्रोपराईटरी

......[illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:15 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) के 16 पेक्ड पैकेट (प्रत्येक 200 ग्राम) में से 8 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 200 ग्राम) को जांच हेतु एक साफ सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं खरीदशुदा प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) की कीमत 496/- रुपये नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार कर, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर किये एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1047, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। खरीदशुदा प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) के आठ पैकेटों में से 2-2 पैकेटो को मिलाकर के चार पैकेट बनाकर टेप से चिपकाया। चारों नमूना पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारो नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1047 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता विजय शर्मा व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.10.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 15.10.2019 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारक[illegible] हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन [illegible] नमूना S-1047 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया [illegible] मूल कागजात मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:15 IST
Reason: SelfAttested

....पेज तीन पर

गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथे अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर प्रतिवादीगण के द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण मे नियत सुनवाई तिथि 14.10.2020 को प्रतिवादी संख्या-1 व 2 क्रमशः विजय शर्मा व प्रवीण अग्रवाल ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर संयुक्त जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से अधिवक्ता श्री रमाकान्त शर्मा एवं श्री दलपत राज परमार उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया है कि दिनांक 15.10.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सिरोही श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जिस प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड पाया गया है। यह नमूना मॉडर्न इन्सुलेटर्स प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि. से लिया गया था। खाद्य सामग्री प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म श्री महाकाली एजेन्सी, आबूरोड से बिक्री हेतु प्राप्त हुई थी इससे संबंधित बिल नमूना लेते समय प्रस्तुत कर दिया गया था। खाद्य सामग्री प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) मेरी फर्म महाकाली एजेन्सी, आबूरोड को अग्रवाल पापड प्राईवेट लि. लिम्बोडगरी, जिला- इन्दौर से बिक्री हेतु प्राप्त हुई थी। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इस प्रकरण से मुक्त करावे।

(3) प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 24.2.2022 को श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी संख्या-3 के अधिवक्ता श्री रमाकान्त शर्मा एवं श्री दलपत राज परमार उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या-3 के अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या-3 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निर्माता फर्म को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति नही भिजवाई है, जिससे निर्माता फर्म प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) के नमूनें के द्वितीय भाग की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहा है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46(4) का उल्लंघन है। यह कि आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सक्षम साक्ष्य से न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों को [illegible] किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेते समय नमूनें [illegible] सभी तथ्यों का उल्लेख किया है जो नमूने वाले पैकेट पर [illegible] सुरक्षा अधिकारी ने पैकेट

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

का लेबल स्वयं की आंखों से देखकर लिखे थे जिसका यह अर्थ है कि नमूना लेते समय सभी तथ्य स्पष्ट दिखाई दे रहे थे तथा नमूनें के पैकेट पर न्यूट्रीशन वेल्यु का भी उल्लेख किया हुआ है, तब खाद्य विश्लेषेक की रिपोर्ट में यह लिखे होने से कि न्यूट्रीशनल इनफॉर्मेशन नॉट गिवन से कोई अपराध नही बनता है। यह कि नमूनें वाले पैकेट पर न्यूट्रीशन इनफार्मेशन का विधि अनुसार उल्लेख किया था। अतः प्रतिवादी संख्या-3 के विरुद्ध यह प्रकरण समाप्त किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि दिनांक 15.10.2020 को 11.15 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म मॉडर्न इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, कारोली, तलहटी, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म मॉडर्न इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, कारोली, तलहटी, आबूरोड़ में खाद्य कारोबारकर्ता व मैनेजर की हैसियत से विजय शर्मा पुत्र अशोक शर्मा, जाति- ब्राह्मण, निवासी- एच.जी. रोड, प्लॉट नं. 70, मानपुर, आबूरोड़, जिला- सिरोही उपस्थित मिले। जो आम जनता को प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म मॉडर्न इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर विजय शर्मा को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष दुकान में आलमारी की रैक में बिक्री हेतु रखे हुए प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) के 16 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 200 ग्राम) में से प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) के 8 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 200 ग्राम) को जांच हेतु खरीदा एवं खरीदशुदा प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 496/- (अक्षरे रुपये चार सौ छियानवे मात्र) नकद अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता विजय शर्मा, गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-1338, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता विजय शर्मा व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधि[illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) [illegible] खरीदशुदा 8 पैक्ड पैकेटों में से 2-2 पैकेटो को मिलाकर [illegible] किया। चारों नमूनों

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:15 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1047 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबाकरर्ता विजय शर्मा, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मॉडर्न इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर विजय शर्मा से खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.10.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफ़ावा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 15.10.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1047 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./826/Act/2019/937 दिनांक 06.11.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मॉडर्न इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड में खाद्य कारोबारकर्ता विजय शर्मा से वास्ते जांच कय किया गया प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) का नमूना S-1047 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) के पैकिंग लेबल पर Nutritional information अकि[illegible] जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. (पैकेजिंग व लेबलिंग) विनियम 2011 के नियम संख्या 2.[illegible] उल्लंघन है।

.....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:15 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही-307001

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2019/12638-41 दिनांक 28.11.2019 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी विजय शर्मा तथा निर्माता फर्म अग्रवाल पापड प्रा.लि. को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारुप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी फर्म मॉडर्न इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि., तलहटी, आबूरोड द्वारा प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) के पैक्ड पैकेटों को बिल नम्बर 1333 दिनांक 16.8.2019 के द्वारा फर्म श्री महाकाली एजेन्सी, आरासुरी कॉलोनी, तरतोली रोड, आबूरोड से क्रय किया गया था एवं प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म श्री महाकाली एजेन्सी, आबूरोड के द्वारा प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) के पैक्ड पैकेटों को इनवोईस नम्बर GST0000970 दिनांक 12.8.2019 के द्वारा निर्माता फर्म अग्रवाल पापड प्रा.लि. की अग्रवाल एजेन्सी से क्रय किया था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य सामग्री प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी फर्म मॉडर्न इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, कारोली, तलहटी, आबूरोड, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) एवं प्रतिवादी प्रवीण अग्रवाल पुत्र श्री रामकरण अग्रवाल, निवासी- प्लॉट नं. 14, आरासुरी कॉलोनी, तरतोली, तहसील- आबूरोड, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, श्री महाकाली एजेन्सी, आरासुरी कॉलोनी, तरतोली रोड, आबूरोड, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) तथा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य सामग्री प्रोपराईटरी फूड गुलाब जामुन (इन्स्टेन्ट मिक्स ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी निर्माता फर्म अग्रवाल पापड प्रा.लि., सर्वे नं. 392/1/2, 392/2/2, ग्राम- लिम्बोडागरी, तहसील-हाटोड, जिला-इन्दौर (मध्य प्रदेश) पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खोड)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अपर जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:15 IST
Reason: SelfAttested